तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सूरजमल गर्ग बनाम लो.सू.अ. (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 16 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सूरजमल गर्ग पुत्र बीधाराम गर्ग, पता उपरला बाजार, भुसावर 32406, जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 3010.2019 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी ने 1–1–16 से पूर्व की पेंशन संशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.19 को भेजा था। उक्त pre sixteen का fixation आज दिनांक तक नहीं हुआ है इसके क्या करण रहे है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से जरिये पत्रांक 12 दिनांक 21.01.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया गया कि वित विभाग के परिपत्र एफ12(6)एफडी / रूल्स / 2017 / पार्ट–1 दिनांक 06.06.16 के अनुसरण में प्री–2016 के पेंशनर्स की संशोधित अधिकृति सं0 6050755 (आर) प्री–2016 दिनांक 15.01.2020 को जारी कर दी गई है। कम्यूटेशन कटौति का रेस्टोरेशन नियमानुसार किया गया है। नियमानुसार कम्प्यूटेशन के भुगतान माह के 14 वर्ष पूर्ण होने के अगले माह की प्रथम तारीख से किया जाता है। श्री गर्ग के 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् अगले माह की प्रथम तारीख 01.06.2018 से रेस्टोरेशन का भुगतान आदेश जारी किये गये है। रिर्पोट में आगे यह भी बतलाया कि पेशन पत्रावली एस बी.आई. A.D.B. भुसावर को इस कार्यालय के पत्रांक 133–34 दिनांक 20.01.2020 द्वारा कोषाधिकारी भरतपुर के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्री–2016 के पेशंनर्स के संशोधित आदेश जारी किये जा चुके है तथा पेशंन प्रकरण भी स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	